राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र. 534 मि.सं. / रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.) / 2019 रायपुर, दिनांक 21/8/2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सह
सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
जिला कोरबा (छ.ग.)

विषयः— गोबर धन योजना के तहत तैयार किये गये DPR में संशोधन किये जाने संबंधी।

सन्दर्भः— पत्र क्र. / 1732 / जि.पं. / स्व.भा.मि. / 2019, कोरबा, दिनांक 16.04.2019।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से विकासखण्ड पोड़ीउपरोड़ा अन्तर्गत ग्राम पंचायत तानाखार के बरपाली गांव में गोबरधन योजना के अन्तर्गत गोबरगैस संयंत्र निर्माण संचालन एवं रख—रखाव हेतु रूपये 14.71 लाख का अनुमोदन चाहा गया है। विदित हो कि गोबरधन योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति (STAC) द्वारा उक्त गोबर संयंत्र हेतु 9.82 लाख का अनुमोदन किया गया।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3073, दिनांक 18.03.2019 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा ये सूचित किया गया है कि गोबरधन योजना के संशोधित दिशा—निर्देशों के अनुसार गोबरधन योजना की DPR का अनुमोदन DSBM(G) द्वारा किया जा सकता है।

विदित हो कि गोबरगैस संयंत्र की राशि ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के मद से दी जाती है, जो कि राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हेतु अधिकतम राशि प्रावधानित राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके पीछे शासन की मंशा 50 प्रतिशत राशि से गोबरगैस संयंत्र का निर्माण, संचालन और रख—रखाव एवं शेष 50 प्रतिशत राशि से सम्पूर्ण ग्राम पंचायत में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

अतः सुझाव है कि गोबर गैस संयंत्र के निर्माण, संचालन एवं रख—रखाव हेतु अधिकतम प्रावधानित राशि 10 लाख से अधिक लगने वाली राशि का अन्य मद जैसे 14वाँ वित्त, CSR, DMF से वहन किया जा सकता है।

अतः आपके प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

(अनुराग पाण्डेय)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner

पृ.क्रः–536/मि.स./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2019 रायपुर, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपिः

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष, प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जिला कोरबा (छ.ग)।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला पंचायत-कोरबा (छत्तीसगढ़)

जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) प्रकोष्ठ

पत्र क्र./1732/जि.पं./स्व.भा.मि./2019 कोरबा, दिनांक 16.7.19

प्रति,

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा)
पं.ग्रा.वि.वि.
नीर भवन सिविल लाईन रायपुर(छ.ग.)

विषय :- गोबर धन योजना के तहत तैयार किये गये DPR में संशोधन किये जाने संबंधी।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र 2892/मि.सं./रा.स्व.भा.मि./पंग्राविवि/रायपुर/2019 दिनांक 14.04.2019

जिले के विकासखण्ड पोड़ीउपरोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत तानाखार के बरपाली गांव में गोबरधन योजना के तहत गोबर गैस संयंत्र हेतु रू 9.82 लाख जिसे STAC रायपुर द्वारा अनुमोदन किये जाने की सूचना संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है।

उक्त गोबर गैस संयंत्र के प्रशासकीय स्वीकृति के दौरान कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उक्त संयंत्र को मान. मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की महत्वाकांक्षी योजना NGGB के तहत गौठान परिसर में लगाये जाने के निर्देश दिये गये। गौठान परिसर में संयंत्र की स्थापना सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है। गौठान परिसर से ग्रामीण हितग्राहियों के बसाहट की दूरी बढ़ने से उक्त DPR को संबंधित तकनीकी एजेंसी से पुनः संशोधित कराया गया है। संशोधित DPR की लागत रू 14.71 लाख है। वर्तमान में संशोधित DPR पर राज्य कार्यालय के अनुमति की प्रत्याशा में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

अतः अनुमोदनार्थ सादर संप्रेषित।

16.7.19

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्र./1733/जि.पं./स्व.भा.मि./2019 कोरबा, दिनांक 16.7.19

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - कोरबा (छ.ग.)

Scanned by CamScanner